न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 36 / 2019

निर्णय दिनांकः– 12.01.2021

उनवान

हरसहाय पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री इकबाल अहमद वकील प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 437 ख0न0 452 रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम बिलोता व खाता संख्या 221 ख0न0 23 रकबा 3.90, ख0न0 94 रकबा 2.79 कुल किता 2 कुल रकबा 6.96 है0 वाके ग्राम पाटोली एवं खाता संख्या 13 ख0न0 464 रकबा 0.15, ख0न0 465 रकबा 1.45 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही नाम हरसहाय पुत्र जगदीश है, जो प्रार्थी के आधार कार्ड,राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक बचत खाता इत्यादि मे अंकित है। परन्तु प्रार्थी के परिवार वाले प्यार से प्रार्थी को पोखरलाल के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश अंकित हो गया है। जिसके कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 437 ख0न0 452 रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम बिलोता व खाता संख्या 221 ख0न0 23 रकबा 3.90, ख0न0 94 रकबा 2.79 कुल किता 2 कुल रकबा 6.96 है0 वाके ग्राम पाटोली एवं खाता संख्या 13 ख0न0 464 रकबा 0.15, ख0न0 465 रकबा 1.45 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश के स्थान पर हरसहाय पुत्र जगदीश अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पाटोली की वर्तमान जमाबन्दी 2071–2073 खाता संख्या 221 व ग्राम नाहरी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 13 मे प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश दर्ज है। प्रार्थी का नाम पूर्व जमाबन्दी मे भी प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश दर्ज है।प्रार्थी का नाम जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता जगदीश पुत्र रामचन्द्रा मीणा की विरासत नामान्तरकरण संख्या 558 दिनांक 14.01.2013 को स्वीकार से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम हरसहाय पुत्र जगदीश मीणा ही दर्ज है। मुताबिक जांच के पोखरलाल पुत्र जगदीश मीणा निवासी पाटोली व हरसहाय पुत्र जगदीश मीणा निवासी पाटोली एक ही आदमी है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 13 ख0न0 464, 465 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 मे प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम पाटोली खाता संख्या 221 ख0न0 23, 94 कुल किता 2 कुल रकबा 6.69 है0 मे पोखरलाल पुत्र जगदीश दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 वाके ग्राम बिलोता खाता संख्या 437 ख0न0 452 रकबा 2.27 है0 मे पोखरलाल पुत्र जगदीश दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम हरसहाय पुत्र जगदीश मीणा दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि पोखरलाल पुत्र जगदीश मीणा निवासी पाटोली व हरसहाय पुत्र जगदीश मीणा निवासी पाटोली एक ही आदमी है। राजस्व रेकार्ड मे नाम शुद्व किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 437 ख0न0 452 रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम बिलोता व खाता संख्या 221 ख0न0 23 रकबा 3.90, ख0न0 94 रकबा 2.79 कुल किता 2 कुल रकबा 6.96 है0 वाके ग्राम पाटोली एवं खाता संख्या 13 ख0न0 464 रकबा 0.15, ख0न0 465 रकबा 1.45 कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम पोखरलाल पुत्र जगदीश के स्थान पर हरसहाय उर्फ पोखरलाल पुत्र जगदीश अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
उनियारा, जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
([illegible])
उपखण्ड अधिकारी उनियारा